न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 5/16 दायर दिनांक 28.09.16 फैसल दिनांक 18.11.2019

1. श्री विक्रम पिता मोतीलाल जोगी निवासी घण्टाली तहसील पीपलखूंट
2. श्री पिंकु पिता मोतीलाल जोगी निवासी घण्टाली तहसील पीपलखूंट

– प्रार्थीगण

बनाम

श्री कृष्णा पिता फुलजी जाति भील निवासी बिचलापाडा घण्टाली तहसील पीपलखूंट

–अप्रार्थी

अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन निरस्त हेतु

उपस्थितः– 1– श्री ईश्वर गायरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2– श्री शरद चिप्पड, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 18.11.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मौजा घण्टाली पटवार हल्का की आराजी पुराना 1219/708 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा दिनांक 05.09.1976 को उपखण्ड अधिकारी घाटोल जिला बांसवाडा द्वारा भूमि विपक्षी के नाम आवंटित की गई थी तथा दिनांक 19.09.1976 को नामान्तरकरण आदेश की स्वीकृति जारी की गई है। यह कि विपक्षी के नाम जमाबंदी संवत् 2036–39 में उक्त आराजीयात व रकबा रिकार्डदर्ज रहा है तथा जमाबंदी 2041–44 में आराजी नम्बर 1219/708 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कर दिया गया। जबकि आवंटन आराजी संख्या 1221/708 का हुआ है। आवंटित कृषि आराजीयात में विपक्षी का आवंटन के समय से आज तक विपक्षी का कब्जा नही रहा है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के पिता मोतीलाल व मोतीलाल के पिता देवा के समय से बेरोक टोक कब्जा चला आ रहा है फिर भी आवंटन अधिकारी ने नियम विपरीत जाकर विपक्षी के नाम आवंटन कर दिया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। यह कि आधार वर्ष की जमाबंदी संवत् 2054 में आराजी नम्बर 1221/708 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा के नये नम्बर 3522/1593 रकबा 0.42

सेवामें, अपर

आवंटित आराजीयात पर भौतिक रूप से कब्जा विपक्षी को नहीं देने के कारण केवल मात्र दस्तावेज की पूर्ति कर विपक्षी को गैर कानूनी रूप से नाजायाज लाभ पहुंचा कर आवंटित की है जबकि विपक्षी को आवंटन योग्य आराजीयात नहीं थी। यह कि विपक्षी को जो भूमि आवंटित की गई उस भूमि पर कभी भी विपक्षी का कब्जा नहीं रहा है बल्कि प्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार दर्ज चला आ रहा है। जब विपक्षी का कब्जा काश्त आवंटित भूमि पर नही है ऐसी स्थिति में विपक्षी को आवंटित की गई भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण आज भी काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता मोतीलाल की समाधि बनी हुई है तथा प्रार्थी के मकानात भी बने हुए है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का निवेदन है कि ग्राम घण्टाली की आराजी नम्बर 1221/708 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा के नये नम्बर 3522/1593 रकबा 0.42 हैक्टर आराजी जो विपक्षी को आवंटन करने का आदेश पारित किया गया है उस आवंटन आदेश को निरस्त किया जावे तथा उक्त आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब 09.05.2017 नियत की गई। नियत दिनांक को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध कराई जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16.05.2017 मुकर्रर की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि मौजा घण्टाली की वस्तु स्थिति की मौका रिपोर्ट मंगाई जावे। प्रकरण में तहसीलदार पीपलखूंट द्वारा दिनांक 27.09.2017 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1219/708 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल नम्बर 3522/1593 रकबा 0.42 हैक्टर बने है, की मौका जॉच पटवारी हल्का घण्टाली से करवाई गई जिसमें हाल खसरा नम्बर 3522/1593 रकबा 0.42 हैक्टर मुताबिक राजस्व रेकार्ड श्री कसना (कृष्णा) पिता फुलजी भील के नाम दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि पर श्री विक्रम पिता मोतीलाल जोगी ने फसल बो रखी है व अन्य दिगर व्यक्ति श्री पिंकु पिता मोतीलाल जोगी ने पक्का मकान बना रखा है। खातेदार श्री कसना (कृष्णा) पिता फुलजी ग्राम में किसी विवाद के

अतिरिक्त जिला क
प्रतापगढ (राज

चलते कृषि भूमि छोड अन्यत्र चला गया था। विगत 2 वर्षो से प्रासंगिक भूमि पर श्री विक्रम पिता मोतीलाल जोगी साकिन घण्टाली काश्त कर रहा है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि आराजी संख्या 1221/708 पर प्रार्थीगण का 50 वर्षो से भी अधिक कब्जा काश्त है। कई वर्षो से विद्युत कनेक्शन है। इसके विपक्ष में अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी किस आवंटन को निरस्त कराना चाहते है, इसका उल्लेख नही है। साथ ही आवंटन पत्रावली भी पेश नहीं की है। भूमिधारी एवं आवंटन अधिकारी को पक्षकार नही बनाया गया है। उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट ने स्थाई निषेधाज्ञा का दावा अप्रार्थी श्री कृष्णा पिता फुलजी के पक्ष में किया है। प्रश्नगत आराजी प्रार्थी विक्रम के खाते की होने का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन की रोशनी में ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 1219/708 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा अप्रार्थी श्री कृष्णा पिता फुलजी के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 1976 अर्थात संवत् 2033 में हुआ। पत्रावली में उपलब्ध संवत् 2021–24 की खसरा गिरदावरी में अप्रार्थी कृष्णा के पिता फूलिया वल्द जीवला भील का एवं संवत् 2037–2040 की खसरा गिरदावरी में अप्रार्थी कृष्णा पिता फूलिया का कब्जा दर्ज है। तहसीलदार पीपलखूंट की रिपोर्ट के अनुसार दो वर्ष से कब्जा प्रार्थीगण का है। इससे स्पष्ट है कि आवंटन के पूर्व से लेकर अब से दो वर्ष पूर्व तक अप्रार्थी (आवंटी) का कब्जा काश्त रहा है। अतः अप्रार्थी (आवंटी) का कब्जा नहीं होने का तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़ (राज.)